ऑन लाईन नं. GCMS 2020/00079

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 16/2020

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री विजीत मिगलानी पुत्र श्री संजय मिगलानी — मालिक —
   मै. पैगोडा रिसोर्ट इन, 22 पब्लिक पार्क, रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर।
2. श्री रवि कुमार पुत्र श्री देशराज —मैनेजर—
   मै. पैगोडा रिसोर्ट इन, 22 पब्लिक पार्क, रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51
निर्णय **दिनांकः 31.01.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा दिनांक 10.08.2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे श्री राकेश सचदेवा, लेब तकनीशियन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ **मै०पैगोडा रिसोर्ट इन, 22. पब्लिक पार्क, रविन्द्र पथ श्रीगंगानगर** पर पहुँचे। वहाँ पर **रवि कुमार पुत्र श्री देशराज,** उम्र 29 वर्ष निवासी वार्ड नं.06, LBS School के पास, रायसिंहनगर जिला–श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। जिसने स्वयं को मै. पैगोडा रिसोर्ट इन का मेनजर एवं फूड लाइसेंसी होना बताया। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर उक्त फर्म का निरीक्षण किया तो वहाँ किचन में रखे एक स्टील के भगोने में लगभग 2.0 किलोग्राम **दही (Dhai)** ग्राहकों को सर्व करने हेतु रखा बताया। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जाँच संख्या **के–971** के नमूनीकरण के लिये 800 ग्राम दही (Dhai) विधि अनुसार स्टील के एक साफ एवं सूखे बरतन में खरीदा जिसकी कीमत 48/रु० (अक्षरे अडतालीस रूपये मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री राकेश सचदेवा, एवं श्री कमल सिंह के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिराम वर्मा ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं0–5 ए प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नं० 5 ए पर दही (Dhai) विक्रेता **रवि कुमार पुत्र श्री देशराज,** एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एंव सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म न0–5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा दही (Dhai) को चम्मच से एकरुप करके बराबर मात्र में चार प्लास्टिक की बोतलों में भरकर एवं उनमें परिरक्षक मिलाकर उनके ढक्कनों को कस कर बंद किया एवं टेप चिपकाई। इसके बाद इन चारों नमूना भागो पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **के–971** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलो पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों गत्ता पैकिट की फोटो कापी करवा कर, कापी पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

करवा कर प्रत्येक नमूना भाग के साथ अलग–2 खाकी कागज में लपेटा और कागज के सिरो को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक **के–971** को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा स्वंय ने भी हस्ताक्षर किये। नमूना विक्रेता को यह सूचना देकर कि वह चाहे तो नमूने का एक भाग किसी NABL Labl से जांच करवाने हेतु 24 घंटे में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर आवेदन कर सकता है। चारो नमूना भागो को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया ।

इस समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहाँ जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ऑफिस पहुँचकर फार्म नं0 6 की प्रतियों तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात् एक नमूना भाग मय फार्म नं० 6 की प्रति के आउटर कंवर में सील मोहर कर मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जाँच हेतु जमा करवाया गया। फार्म नं० 6 की 2. प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर उसी फार्म संख्या 6 की पुश्त पर नमूना सील करने की मोहर को मिलान करने की रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है साथ ही उपरोक्त नमूना प्रयोगशाला में जमा कराने की रसीद प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं० 6 की दो प्रतियों के आउटर कंवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं० 6 की प्रति के मोहर चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

फूड एनालिस्ट, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1813/Act/2019/1371 Dated 20-08-2019 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-971 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **रवि कुमार पुत्र श्री देशराज, मै. पैगोडा रिसोर्ट इन, 22 पब्लिक पार्क, रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **दही (Dhai)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 27.07.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध श्रीमान जी द्वारा जरिये नोटिस ये सूचित किया गया था कि प्रार्थी के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याया निर्णय आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा एम.एफ.एस.ए. 2006 की धारा 26 (2) (2)/51 के अन्तर्गत पेश किया और ये अंकित किया कि 11.08.2019 को दोपहर 2 बजे पैगोडा रिजोर्ट इन 22 पब्लिक पार्क रविन्द पथ श्रीगंगानगर पहुंचने पर और आम जनता खाद्य

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

पदार्थ दही को सर्व करना रखा बताया गया और ये भी अंकित किया कि 20 किलो दही मौजूद था, जांच में दही सबस्टैंडर्ड पाया गया जो अधिनियम का उलंघन है। श्रीमान उक्त संदर्भ में निवेदन है कि तत्समय खाद्य पदार्थ की जांच करने आये अधिकारी द्वास सैम्पल लेने पर प्रार्थी द्वाराजाचं अधिकारी को प्रार्थी द्वारा कय किये गये दही का बिल दिया था, जो कि विजय पनीर हाउस द्वारा कय किया गया था, इसलिए प्रार्थी ने उक्त दही का स्वयं निर्माण नही किया बल्कि जैसे कय किया था वैसे ही उसका सैम्पल खाद्य अधिकारी द्वारा लिया गया, इसमें प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई दोष नही है, ना ही उक्त दही सबस्टंडर्ड था। उक्त दही सवस्टैंडर्ड नहीं था, खाद्य अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिये मानकों अनुसार उक्त दही की सम्पैलिंग नही ली थी, ना ही टैस्ट करने के समय उसका सही रूप स सैम्पल लिया गया, इसलिए उक्त सैम्पल रिपोर्ट सही नही है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब भी किसी खाद्य पदार्थ की सम्पैलिंग ली जाती है ऐसी सूरत में उक्त खाद्य पदार्थ का एक सैम्पल जिस संस्था से लिया गया है उसे भी दिया जाता है ताकि उसकी संतुष्टि नहीं होने पर उसका जांच अन्य लैब से करवाई जा सके, वर्तमान मामले में ऐसा अवसर प्रार्थी को नहीं दिया गया, इसलिए उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही व प्रकरण प्रार्थी के विरूद्ध नही चलाया जा सकता। खाद्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रकरण से ये स्पष्ट है कि उक्त दही विकय करने के लिये नही था बल्कि होटल में कार्य करने वाले कर्मचारी जिसकी संख्या काफी है उनके लिये व्यक्तिगत कडी बनाने के लिये लिया गया था. ऐसी सूरत में उक्त दही का विक्रय करना स्वतः ही गलत हो जाता है इसलिए समस्त कार्यवाही गलत है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण में प्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप की जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **दही (Dhai)** का सैम्पल **K-971** फूड एनालिस्ट, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1813/Act/2019/1371 Dated 20-08-2019 द्वारा **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि खाद्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रकरण से ये स्पष्ट है कि उक्त दही विकय करने के लिये नही था बल्कि होटल में कार्य करने वाले कर्मचारी जिसकी संख्या काफी है उनके लिये व्यक्तिगत कडी बनाने के लिये लिया गया था. ऐसी सूरत में उक्त दही का विक्रय करना स्वतः ही गलत हो जाता है इसलिए समस्त कार्यवाही गलत है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण में प्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप की जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Dahi bearing code No. K-971** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard** Food as it does not Conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and, Food Addiative) Regulations, 2011 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री विजीत मिगलानी पुत्र श्री संजय मिगलानी (मालिक), मै. पैगोडा रिसोर्ट इन, 22 पब्लिक पार्क, रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री विजीत मिगलानी पुत्र श्री संजय मिगलानी (मालिक), मै. पैगोडा रिसोर्ट इन, 22 पब्लिक पार्क, रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये **20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)